झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0 / 06–योजना–43 / 2024 – 1008(S) दिनांक – 10/3/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **मनोहरपुर अन्तर्गत "गोयलकेरा (चाईबासा–सैंतवा पथ, MDR–186 पर) से रोआम भाया केन्तार, कारा खजुरिया पथ के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 22.00 तक (कुल लम्बाई–22.00 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण / मजबूतीकरण कार्य (पुलों के निर्माण सहित)" हेतु रू0 64,85,69,900 / – (चौंसठ करोड़ पचासी लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 64,85,69,900 / – (चौंसठ करोड़ पचासी लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष "मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना / उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मनोहरपुर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, चक्रधरपुर से की जायेगी।

4. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025–26	रू0 650.000 लाख	10%
2026–27	रू0 3900.000 लाख	60%
2027–28	रू0 1935.699 लाख	30%

5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

10/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–43/2024 –1008(S) दिनांक – 10/3/26

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता(याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति इस शर्त्त के साथ प्रदान की गई है कि वित विभाग द्वारा अंकित शर्त्त का अनुपालन कर लिया जाय। वित्त विभाग द्वारा राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा लगायी का शर्त्त का अनुपालन करने हेतु निदेशित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

''(i) ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 34(S) दिनांक 06.01.2005 तथा 640(S) दिनांक 22.02.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ii) योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय।''

ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा उक्त पथ के चैनेज कि0मी0 0.00 से कि0मी0 22.00 तक हस्तांतरण हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को अनापत्ति दी गई है (ग्रामीण कार्य विभाग के पत्र सं0–533, दिनांक–18.02.2026)। प्रस्तावित पथ की लंबाई विभागीय अधिसूचना सं0–640(S) दिनांक 22.02.2022 की कंडिका–3(क) द्वारा अनुमत लंबाई के संगत है। अतएव अधिसूचना सं0–640(S) दिनांक 22.02.2022 की कंडिका–3 अनुपालित है।

अब इस प्रस्ताव के वित्तीय लक्ष्य को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजटीय प्रावधानों के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

सम्प्रति दोनों शर्त्त पूर्णतः अनुपालित है।

पुनः संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि पथ के विधिवत् हस्तांतरण के पश्चात् ही योजना से संबंधित कार्यान्वयन की कार्रवाई की जायेगी एवं योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय।

5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

10/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/06–योजना–43/2024 –1008(S) दिनांक – 10/3/26

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/ आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड, राँची/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/ उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड,

राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–43 / 2024 –1008(5) दिनांक – 10/3/26

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–43 / 2024 – 1008(2) दिनांक –10/3/26

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

10/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।